उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-693/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.216-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(275)-2023

लखनऊः दिनांकः 18 मई, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(09)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, मद (iii) में, उप मद (ख) में, स्तम्भ (5) के अधीन प्रविष्टि मे शर्त (2) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:

"परंतु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस विकल्प का प्रयोग 31 मई, 2023 को या उसके पूर्व तक किया जा सकेगा:

परंतु यह भी कि यदि कोई जीटीए, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नया कारवार प्रारंभ करता है या उस वर्ष में निर्धारित रजिस्ट्रीकरण की सीमा को पार करता है तो वह उस वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग जीएसटी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिवस पूर्ण हो जाने के पूर्व या ऐसे रजिस्ट्रीकरण के हो जाने की तारीख से एक माह की अवधि पूर्ण हो जाने के पूर्व, दोनों में जो भी पश्चात् में हो, अनुबंध V में इस प्रकार की घोषणा करके कर सकता है।"

2. यह अधिसूचना तारीख 9 मई, 2023 को प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव